



कार्यालय Office of the
मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager,
बिलासपुर - (छ ग.) Bilaspur(C.G.)

दर परिपत्र स. 84(मालभाड़ा)/2017

Rates Circular No.84(G)/2017

सं No.C/SECR/BSP/Container/Policy /Pt.I/ 2245

दिनांक / Date: 21/04/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट / दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

मंडल रेल प्रबंधक / DRMs / द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, / Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, / Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, / Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर / ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी / CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी / FA&CAO, उप मुख्याधिकारी (टी) / Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी (टी ए) द पू म रे बिलासपुर / Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक / SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, / CFTM

मुख्य यांत्रिक अभियंता / CME, मुख्य अभियंता / CE, मुख्य विद्युत अभियंता / CEE, द पू म रे बिलासपुर।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, / Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक / CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुवली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट / EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,

महाप्रबंधक, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,, ओसीसी, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली,,

कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय / Sub:- Issue of multiple RRs for a single container train.

संदर्भ / Ref:- (i) Railway Board's Rates Master Circular/CRT-CCR-Hub & Spoke/2015/0.

(ii) This office Rates Circular No.60(G)/2015.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TC-I/2016/103/1 दिनांक 20/04/2017 (Addendum to Rates Master Circular/CRT -CCR-Hub & Spoke/2015/0) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

In terms of Rates Master Circular under reference, Terminal Access Charge, Detention Charge and Ground Usage Charge at a notified Container Rail Terminal (CRT) are levied on per rake basis.

Representation have been received from container train operator (CTOs) requesting for issue of multiple Railway Receipts (RRs) in the name of more than one operator for a single container train.


Contd..2..

The matter has been examined and it has been decided to revise the guidelines by inserting additional Para 3.7 in the Rates Master Circular under reference, as under:-

"3.7 Multiple Railway Receipts (RRs) in the name of more than one container operator for a single container train may be issued if owner of the rake offers it for the use by other CTOs, provided that the liability for terminal access, rake detention and ground usage shall be borne by the owner of the rake. In other works, when multiple Railway Receipts (RRs) in the name of more than one operator for a single container train are issued, then Terminal Access Charge, Detention charge and Ground Usage Charge, wherever applicable, shall be paid by the owner of the rake."

This issues in consultation with Traffic Transportation Dte. and with the concurrence of Finance Dte. of Railway Board.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।



(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक / पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक